न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार न्योल

प्रकरण सख्याः—70/23 निर्णय दिनांक 30.05.2024

1 श्रीमती कमला पत्नि दीनबंधु जाति पाटीदार निवासी सीथल तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्रीमती कमलादेवी पत्नि धनेश्वर जाति लौहार निवासी मांडली तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री प्रकाशचन्द्र पिता लालजीभाई जाति पाटीदार निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 मुख्तार अहमद पिता सेहदालीखा जाति पठान निवासी मेघरज तालुका मेघरज जिला अरवल्ली गुजरात।

—वादीगण/प्रार्थीगण

वनाम

1 श्री राज्य सरकार जरीये जिला कलेक्टर महोदयजी डुगंरपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री राज्य सरकार जरीये अधिक्षण अभियंता महोदयजी लोक निर्माण विभाग डूंगरपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री राज्य सरकार जरीये अधिशाषी अभियंता महोदयजी लोक निर्माण विभाग सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 श्री राज्य सरकार जरीये सहायक अभियंता महोदयजी लोक निर्माण विभाग सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5 श्री भुमिधारी तहसीलदार महोदयजी तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188 व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम
सपठीत धारा 151 जाब्ता दिवानी

उपस्थित :— श्री विरेन्द्रसिंह चौहान वादी की ओर से।
प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित।

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण कमशः सीथल, मांडली, सीमलवाडा व मेघरज के स्थायी निवासी है। प्रतिवादी संख्या 1 जिला प्रतिनिधि व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 लोक निर्माण विभाग के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या संख्या 5 तहसीलदार है। वादीगण अपने कब्जे काश्त की भुमि पर काश्त कर अपने व अपने परिवार का भरण पोशण करते आ रहा है। वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा सीमलवाडा में खाता संख्या 759, खसरा नम्बर 1550 खेत किता 1, कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है। जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 जबरन

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण के कब्जे काश्त की मौजा सीमलवाडा में खाता संख्या 759, खसरा नम्बर 1550 खेत किता 1, कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर वादीगण की बिना सहमति के प्रस्ताव बनाकर खेत के बीच में ही डामर सडक निकालने का प्रस्ताव बनाया गया है। जबकि वादीगण खेत के किनारे किनारे सडक बनाने को लेकर पुर्ण सहमत है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 लोक निर्माण विभाग के अधिकारीयों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन समझने को तैयार नहीं हुए है, जिस पर वादीगण ने वादग्रस्त आराजी खातेदारी होने की बात कर खेत के किनारे किनारे सडक निर्माण करने की बात की तो प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने वादीगण की सहमति के बिना ही विधि एवं नियम विरूद्ध वादी की आराजीयात में निर्माण कार्य जारी करना चाहते है। जिस पर वादीगण द्वारा रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजुद नहीं माने और जबरन सडक निर्माण कार्य करने को आमदा है। जिससे वाद की विविधता बढने लगी, जिससे म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा कॉलम संख्या 2 में अंकित वादीगण की वादग्रस्त आराजी में खेत के बीच में निर्माण कार्य करके सरकारी राशि का दुरूपयोग कर राजकोष को हानि पहुंचाई जा रही है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा धमकी देकर सडक निर्माण करना चाहते है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का वादीगण की आराजी में सरकारी राशि का दुरूपयोग कर सडक निर्माण कार्य रूकवा देवे। जिससे वादीगण को कब्जे काश्त की आराजी में काश्त करने में रूकावट उत्पन्न न हो। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 से 4 जबरन वादीगण की कॉलम संख्या 3 में अंकित आराजी को जबरन अतिकमण कर मौके पर विवाद उत्पन्न कर रहे हो एवं वादीगण को अपने कब्जे की भुमि पर उपयोग उपभोग करने में रूकावट पैदा कर रहे हो। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा किसी भी कृषक की खातेदारी आराजीयात में सडक बनाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 का दायित्व है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर नियम विरूद्ध सरकारी राशि का दुरूपयोग कर किसी खातेदार कृषक की भुमि में अतिकमण किए जाने पर उनके विरूद्ध धारा 80 सीपीसी के तहत् नियमानुसार कार्यवाही करें। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक है कि मौजा सीमलवाडा में खाता संख्या 759, खसरा नम्बर 1550 खेत किता 1, कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत डामर सडक का निर्माण कार्य प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावे।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2022–23 से मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में सीमलवाड़ा तहसील में सीमलवाड़ा बाईपास निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसमें सीमलवाडा कस्बे में होकर गुजरने वाला SH–54 एवं SH–54(ए) के कारण ट्राफिक को बाईपास

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

करने के लिए 10 किमी. लम्बाई में सिंग रोड प्रस्तावित है, जिसमें आने वाली भूमि अर्जन के प्रक्रिया निम्नानुसार प्रगतिरत है।
(1) अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) दिनांक 02.11.2022।
(2) अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7(1) दिनांक के तहत जनसुनवाई की गई।
(3) अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) एवं राजस्व वि. 16 के तहत प्रभावित की सूची जो कि उपखण्ड अधिकार एवं भूमि अधिकारसंयुक्त शासन सचिव को भेजा गया है। उक्त परियोजना में खसरा संख्या 1550 के कुल क्षेत्रफल 0.4047 में से 0.1062 हेक्टेयर भूमि आवाप्त होना प्रस्तावित है। जिसकी सहमति दिनांक को ग्राम पंचायत सीमलवाड़ा में उपखण्ड अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम में ले ली गई है। भूमि आवाप्ति प्रस्ताव फिलहाल श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं श्रीमान् मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है। वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। गजट में प्रकाशन के बाद वादी अपनी असहमति भूमि अवाप्ति अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में मौके पर निर्माण कार्य बंद है। निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व खातेदार काश्तकार की भुमि अवाप्त कर राशि भुगतान करने पर ही डामर सडक निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा सीमलवाडा में खाता संख्या 759, खसरा नम्बर 1550 खेत किता 1, कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है। वर्तमान में मौके पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व खातेदार काश्तकार की भुमि अवाप्त कर राशि भुगतान करने पर ही डामर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाने पर काश्तकार को दावा निर्णय किए जाने पर कोई आपति नही है। प्रतिवादी सं. 04 सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीमलवाड़ा द्वारा तर्क दिया गया कि वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। गजट में प्रकाशन के बाद वादी अपनी असहमति भुमि अवाप्ति अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में मौके पर निर्माण कार्य बंद है। निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व खातेदार काश्तकार की भुमि अवाप्त कर राशि भुगतान करने पर ही डामर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

पत्रावली में शामिल दस्तावेज के अवलोकन किये जाने से यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त आराजी में वर्तमान में डामर सड़क निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे में वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य नहीं होना पाया गया है। अतः वाद सारहीन होने से खारिज

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner